बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग।

अधिसूचना।

सं0सं0–2/एम0एम0(बा0)–227/18–2650/एम0, पटना, दिनांक–14/8/19

बिहार बालू खनन नीति, 2019

संख्या ....2650...., बिहार बालू खनन नीति, 2019 एतद् द्वारा नीचे वर्णित कारणों से और उद्देश्य के लिए अधिसूचित की जाती है :–

1. बालू सबसे महत्वपूर्ण निर्माण सामग्रियों में से एक है। राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। बालू का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत नदी है। नदी निकायों से बालू की निकासी आवश्यक पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को अपनाने के साथ विनियमित किया जाना है।

2. राज्य में निर्माण कार्य एवं भराई दोनों उद्देश्यों के लिए पर्याप्त रूप से बालू उपलब्ध है। गंगा नदी के दक्षिण भाग के जिलों में निर्माण कार्य में व्यवहृत पीला बालू उपलब्ध है तथा गंगा नदी के उत्तरी भाग के जिलों में सफेद बालू उपलब्ध है, जो मुख्यतः भराई कार्यो में उपयोग किया जाता है। पीला बालू वाले जिलों की बंदोबस्ती क्षमता सफेद बालू जिलों से भिन्न है, क्योंकि निर्माण कार्य में बालू की मांग अधिक है, जबकि भराई कार्य के लिए व्यवहृत बालू की मांग सीमित है।

3. अधिसूचना संख्या–2214/एम0, दिनांक–27.08.2013 द्वारा राज्य बालू नीति, 2013 बनाई गई थी जिसमें प्रत्येक जिले में अवस्थित प्रत्येक संपूर्ण नदी को एक सिंगल स्ट्रेच माना गया था। जिले में सभी नदियों की बंदोबस्ती के प्रयोजनार्थ एक स्ट्रेच के रूप में माना गया था और एक जिलें में सभी ऐसे स्ट्रेचेज को एक सिंगल इकाई (यूनिट) में जोड़ा गया था। दो

NSD_Hindi Kruti dev font dt. 13.08.2019

या दो से अधिक जिलों को संयुक्त कर बंदोबस्ती के लिए एक इकाई माने जाने का प्रावधान भी किया गया था। बालू नीति, 2013 के अन्तर्गत 29 जिलों में 25 इकाई बनाई गयी थी।

4. अनेक जिलों की बंदोबस्ती एक व्यक्ति/ कंपनी के साथ होने से अंतिम रूप से बड़े निहित हितो तथा एकाधिकारवादी प्रणाली कायम हो गई। इस प्रणाली में छोटे भागीदरों की कोई भूमिका नहीं थी।

5. नई बालू नीति, 2019 के मुख्य तीन उद्देश्य हैः—(i) बालू का सतत् खनन पर्यावरणीय तरीकों से सुनिश्चित किया जाना। (ii) निर्माण हेतु उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में बालू की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। (iii) रोजगार सृजन सुनिश्चित कराने हेतु बंदोबस्तधारियों की संख्या में वृद्धि करना।

बालू की बंदोबस्ती निम्न तरीकों से किया जाना प्रस्तावित हैः—

<u>बालूघाट इकाईयाँ</u>:—

(i) जिला में अवस्थित प्रत्येक नदी को अलग—अलग इकाई माना जाएगा एवं प्रमुख नदी इकाईयों (major river reaches) यथा सोन, किउल, फल्गू, मोरहर एवं चानन को जहाँ कही संभव हो सके विखंडित कर सतत् संहृत खंडों में नदी के स्थालाकृति को ध्यान में रखते हुए बाँटकर बंदोबस्ती की जाएगी।

(ii) इसी प्रकार जिला में अवस्थित अन्य नदी इकाई को आवश्यकतानुसार विखंडित कर बंदोबस्ती की जाएगी।

6. **<u>बालूघाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया</u>**:—

(क) कोई व्यक्ति/ निबंधित कंपनी/ पार्टनरशीप/ सोसाईटी/ सहकारी संस्था अधिकतम दो बालू खण्डों अथवा 200 हेक्टेयर क्षेत्र, जो भी कम हो, के लिए नीलामी के पात्र होंगे। उपरोक्त सीमा मात्र कंडिका 5(i) में उल्लेखित नदियों पर बालू होगी। अन्य नदियों के लिए

विभाग अधिकतम बालू खंडों की सीमा / क्षेत्रफल निर्धारित करने हेतुए सक्षम होगा।

(ख) (i) बालूघाटों की बंदोबस्ती उच्चतम बीडर के पक्ष में ई0– निविदा –सह–नीलामी (e-tendering- cum-auction) के माध्यम से उन निविदादाताओं के बीच से की जाएगी जिनकी तकनीकी बीड निविदा दस्तावेजों में वर्णित पात्रताओं की शर्त्तों के अनुसार, तकनीकी रूप से उपयुक्त पाई जाएगी।

(ii) बीडर द्वारा उच्चतम कोटेड वार्षिक समनुदान मूल्य कही जाने वाली कीमत पर समनुदान दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक अगले वर्ष के लिए, 20 प्रतिशत् अग्रिम भुगतेय राशि की बढ़ोत्तरी की जाएगी।

(iii) नीलामी के तुरंत बाद, उच्चतम बीडर से नीलामी राशि के 10 प्रतिशत् का भुगतान, प्रतिभूति जमा, (इस प्रयोजनार्थ अग्रधन समायोजन योग्य है) के रूप में करने की अपेक्षा की जाएगी और सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत्यादेश उच्चतम बीडर के पक्ष में निर्गत किया जाएगा और उसके बाद उच्चतम बीडर निविदा पत्र में वर्णित अपेक्षित दस्तावेज यथा–अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरणीय अनापत्ति नियत कालावधि के भीतर जमा करेगें।

(iv) अग्रधन / प्रतिभूति जमा और नीलामी की किश्तों का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा, जो–

(क) किसी व्यक्ति की दशा में, बैंक ड्राफ्ट/ ऑनलाईन राशि अंतरण अपने स्वयं के बैंक खाते से किया जाएगा।

(ख) भागीदारी फर्म की दशा, बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन राशि अंतरण संबंधित फर्म अथवा उसके भागीदारों के बैंक खाते से किया जाएगा।

(ग) कंपनी की दशा में, बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन राशि अंतरण संबंधित कंपनी या उसके प्रबंध निदेशक या उसके संबंधित निदेशकों के खाते से तैयार किया जाएगा।

(v) आवेदक/बंदोबस्तधारी वर्त्तमान तीन माह का खाताधारक के बैंक खाता विवरणी की प्रति के साथ बैंक द्वारा निर्गत इस प्रभाव का एक प्रमाण–पत्र जमा करेगा।

(vi) अपेक्षित दस्तावेजों को जमा करने और अपेक्षित रकम के भुगतान के बाद कार्य–आदेश उच्चतम बीडर के पक्ष में निर्गत किया जाएगा।

(vii) बंदोबस्तधारी बंदोबस्ती अवधि के दौरान नियमों/निविदा दस्तावेज के अधीन किये गये प्रावधानों के अनुसार संपूर्ण खनन एवं अन्य करों का भुगतान करेगा।

7. **<u>पात्रता और बीड कैपीसिटी</u>**:– निबंधित कम्पनीयॉ, पार्टनरशीप, सोसाईटी, सहकारी संस्था सहित, सोल प्रोपराईटरशीप, व्यक्तियों और दो ऐसी संस्थाओं के भागीदार निम्नलिखित पात्रता मानदण्डों को पूरा करने के अधीन रहते हुए पात्र होगें :–

(i) 31वीं मार्च को समाप्त होने वाला पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान बीडर का औसत वार्षिक टर्नओभर उसके द्वारा बीड किये गये खंडों/बालू खंड/बालूघाट के सुरक्षित मूल्य के 10 प्रतिशत् से कम नही होना चाहिए। भागीदारी की दशा में, सभी सदस्यों के संयुक्त तकनीकी और वित्तीय क्षमता पर पात्रता के लिए विचार किया जाएगा।

(ii) पैन कार्ड धारक होना चाहिए और गत् तीन वर्षों के लिए आयकर रिटर्न जमा होना चाहिए।

(iii) आवेदक (निबंधित कम्पनीयॉ, पार्टनरशीप, सोसाईटी, सहकारी संस्था के प्रमोटर तथा सोल प्रोपराईटर्स एवं व्यक्तियों) को डी0एम0/एस0पी0/एस0डी0 एम0 द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र देना होगा। उक्त चरित्र प्रमाण में यह भी उल्लिखित होना चाहिए कि आवेदक के विरूद्ध कोई संज्ञेय अपराध दर्ज नहीं है और उसका अच्छा नैतिक चरित्र है।

8. **<u>न्यूनतम सुरक्षित मूल्य का निर्धारण–</u>** सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण विभाग द्वारा किया जायेगा। यदि तीन बार प्रयासों के बाद भी उक्त निर्धारित न्यूनतम सुरक्षित मूल्य पर नीलामी की प्रक्रिया के दौरान कोई बीडर नहीं मिलता है तो न्यूनतम सुरक्षित मूल्य, विभागीय तकनीकी समिति द्वारा संबंधित क्षेत्र और अन्य स्थानीय/तकनीकी दशाओं में निक्षेपित बालू के आधार पर तथा समाहर्त्ता की अध्यक्षतावाली जिलास्तरीय समिति से अनुशंसा प्राप्त कर पुनरीक्षित किया जा सकेगी। उक्त खण्ड/बालू खंड/बालूघाट की पुनः नीलामी, राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, पुनरीक्षित न्यूनतम सुरक्षित मूल्य के आधार पर की जाएगी।

9. **<u>भुगतान की शर्तें</u>:–**

(i) आवेदक अपनी निविदा दस्तावेज के साथ अग्रधन के रूप में बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन के माध्यम से सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत् जमा करेगा।

(ii) बीड–राशि केवल प्रथम वर्ष के लिए बंदोबस्ती की राशि मानी जाएगी। दूसरे वर्ष और उसके बाद की बंदोबस्ती की राशि गत् वर्ष की बंदोबस्ती राशि के 120 प्रतिशत् के बराबर होगी।

NSD Hindi Kruti dev font dt. 13.08.2019

(iii) प्रतिभूति जमा के अलावे बंदोबस्तधारी निम्नलिखित सूची के अनुसार बंदोबस्ती की राशि का भुगतान करेगा :–

किस्त	भुगतान की नियत तारीख
प्रथम किस्त (50%)	(क) कार्य आदेश निर्गत होने के पहले (पहले वर्ष के लिए) (ख) 15 दिसम्बर (दूसरे वर्ष और उसके बाद)
द्वितीय किस्त (25%)	15वां मार्च
तृतीय किस्त (25%)	15वां जून

यदि किस्तों के भुगतान करने में बंदोबस्तधारी असफल होता है तो आगे ई–चालान सिस्टम द्वारा बंद कर दिया जाएगा और केवल अग्रिम भुगतान कर दिये जाने के बाद खोला जाएगा।

(पअ) बंदोबस्तधारी जी0एस0टी0, आयकर, स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान भी संबंधित विभाग की अद्यतन अधिसूचना के अनुसार करेगा। बंदोबस्तधारी डी0एम0एफ0 को बिहार डी0एम0एफ0 नियमावली, 2018 के अनुसार भुगतान करेगा।

10. **<u>प्रतिभूति जमा और खनन कार्य आरंभ करना</u>**:– भुगतान किये जानेवाला प्रतिभूति जमा वार्षिक समनुदान मूल्य का 10 प्रतिशत् होगी। प्रतिभूति राशि अंतिम किस्त में समायोजित की जाएगी बशर्ते कि कोई अन्य बकाया वसूल नहीं किया जाना हो।

11. **<u>बंदोबस्ती विलेख (डीड) निष्पादन करना</u>**:– सफल बीडर को 5 वर्षों की अवधि के लिए बालू खनन करने हेतु समनुदान अवार्ड दिया जाएगा। सफल बीडर विहित प्रपत्र में बंदोबस्ती विलेख संबंधित नियम अथवा उसके समरूप एक प्रपत्र में कार्य आरंभ करने के पहले, निष्पादित और निबंधित करेगा तथा यथा विहित अपेक्षित प्रतिभूति राशि जमा देगा।

12. **बालू का विक्रय मूल्यः–** अंतिम उपयोगकर्त्ता अथवा आमजन हेतु बालू का मूल्य बाजार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

13. **बालू खनन की अनुमतिः–** समानुदान ग्राही को सभी अपेक्षित वैधानिक कार्रवाई पूरी करने के बाद बालू खनन की अनुमति दी जाएगीं।

14. **बालू खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्रः–** बालू खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र प्रभावी नियमों के अनुसार होगें।

15. **बालू खनन की अधिकतम गहराईः–** नदी तल में खनन की अधिकतम गहराई उस समय बिना खुदाई वाले तल स्तर से 3 मीटर अथवा जल स्तर जो भी कम हो, से अधिक नही होगी। उत्खनन के दौरान निर्मित सभी ऐसे गड्ढे नियमित आधर पर भर दिये जाएँगे।

16. **बंदोबस्तधारी द्वारा नियमों, निदेशो/शर्त्तों का अनुपालनः–**

(i) बंदोबस्तधारी संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण करेगा तथा स्वयं/अथवा अपने द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से बालूघाटों का प्रचालन करेगा। किसी रूप में किये गये उप पट्टा (सबलेटिंग) के कारण से बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी। बालूघाटों/नदी तल तक बालू के परिवहन के प्रयोजनार्थ पहुँच पथ (अप्रोच रोड़) का निर्माण बंदोबस्तधारी द्वारा स्वयं किया जाएगा।

(ii) बंदोबस्तधारी विहित प्रपत्र में बालू के उत्पादन तथा प्रेषण से संबंधित साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक रूप से विवरणी (रिटर्न) समर्पित करेगा।

(iii) बंदोबस्तधारी नदी तल से बालू प्रेषण के बिन्दु पर एक साईनबोर्ड लगाएगा जिसपर बंदोबस्तधारी का नाम एवं पता, बंदोबस्ती की अवधि, स्थानीय मैनेजर का नाम एवं पता तथा बालू का विक्रय मूल्य प्रदर्शित किया जाएगा।

(iv) बंदोबस्तधारी श्रम विधियों के प्रावधानों के अनुसार आश्रय गृह, पीने का पानी, शिशु गृह (क्रेचेज) तथा फ्रफर्स्ट एड किट की व्यवस्था संबंधित बालूघाटों में लगे श्रमिकों के लिए करेगा।

(v) बंदोबस्तधारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय /SEIAA/ DEIAA द्वारा मॉनसून अवधि (जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर माह में अथवा पर्यावरणीय स्वीकृति में यथा कथित) में नदी तल से खनन के लिए अधिरोपित रोक, खनिज संसाधनों की अनुपलब्धता, पहुँच पथ में किसी बाधा, सीमा विवाद अथवा उसके किसी अन्य कारण के चलते उत्पन्न किसी समस्या के कारण बालू के उत्पादन/प्रेषण में उत्पन्न अवरोध की दशा में किसी प्रतिपूर्ति का हकदार नही होगा।

(vi) दो जिलों के बीच किसी सीमा विवाद की दशा में, उसे संबंधित जिला पदाधिकारियों द्वारा जो इस संबंध में संयुक्त निर्णय लेगें, संयुक्त रूप से हल किया जाएगा और उसे विभाग को संसूचित कर दिया जाएगा।

(vii) बालू का परिवहन बालू ढोने वाले वाहनों को तारपोलीन से आच्छादित करने के उपरांत किया जाएगा।

(viii) बंदोबस्तधारी वाहनों में सूखा बालू लादने की व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि बालू ढोने वाले वाहनों से सड़क पर पानी नही टपके। इसके लिए बंदोबस्तधारी नदी के किनारे से 300 मीटर की दूरी के भीतर बालू लादने के लिए सेकेण्डरी लोडिंग की व्यवस्था करेगा जिसके लिए अपेक्षित बालू जमा करने हेतु किसी लाईसेन्स की आवश्यकता नहीं होगी।

(ix) बालूघाट बंदोबस्तधारी खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली, 1972, बिहार खनिज (अवैध खनन परिवहन और भंडारण निवारण)

NSD Hindi Kruti dev font dt 13.08.2019

नियमावली, 2003 के सुसंगत प्रावधानों तथा उसमें किये गये संशोधनों तथा सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों का पालन करेगा। बंदोबस्तधारी पर यह भी बाध्यकारी होगा कि अन्य सुसंगत अनिधिनियमों तथा नियमावलियों के प्रावधानों का पालन करेगें।

(x) बंदोबस्तधारी बंदोबस्त क्षेत्र के भीतर किसी अवैध खनन के लिए जिम्मेवार होगें और पाई गई किसी शिकायत, यदि कोई हो, पर गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा बंदोबस्तधारी के विरूद्ध आपराधिक मामला दायर किया जाएगा।

(xi) बंदोबस्तधारी समाहर्त्ता द्वारा बालूघाटों के संचालन के संबंध में लोकहित में जारी निर्बधनों और शर्त्तों तथा निदेशों का पालन करेगा।

(xii) बंदोबस्तधारी को खनन राजस्व/जी0एस0टी0/आयकर/स्टाम्प शुल्क/रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान नही करने की दशा में 30 दिनों का कारणपृच्छा नोटिस तामील की जाएगी और उक्त अवधि के दौरान बकाए का भुगतान करने में असफल रहने की दशा में बंदोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

17. <u>**पर्यावरणीय अनापत्तियों की मंजूरी के लिए समय–सीमाः–**</u> राज्य खनन विभाग समयबद्ध रीति से पर्यावरणीय एवं अन्य स्वीकृतियॉ बालूघाटों हेतु प्राप्त करेगा। वैधानिक पर्यावरणीय तथा अन्य स्वीकृतियों को प्राप्त करने हेतु, जिला खनन पदाधिकारी तथा निदेशक, खान कार्रवाई करेगें।

18. **समनुदान का प्रत्यार्पण।**– बंदोबस्तधारी को बंदोबस्ती छोडने के पूर्व उस पंचांग वर्ष की सम्पूर्ण बंदोबस्ती राशि जमा करनी होगी। बंदोबस्ती प्रत्यार्पित करने की स्थिति में जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि के साथ–साथ भुगतान की गई अन्य राशि को जप्त कर ली जायेगी।

19. **ऑन लाईन बालू पोर्टल**– बंदोबस्तधारी सभी उपभोक्ताओं (छोटे, मध्यम एवं बड़े) को बालू का विक्रय या तो ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन मोड के माध्यम से करेगा। सभी संव्यवहार/भुगतान, उत्खनन/उत्पादन/ परिवहन भंडारण का ब्योरा विभागीय ऑनलाइन रीयल टाइम मोनिटरिंग सिस्टम द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा। बालू का विक्रय इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजीकरण, जो केन्द्रीय दस्तावेजीकरण अनुश्रवण सुविधा से जुड़ा रहेगा, से नियंत्रित किया जाएगा और बंदोबस्तधारी द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन निश्चित रूप से विभागीय पोर्टल पर डाला जाएगा।

20. **बालूघाटों में मशीनरी लगानाः**– बंदोबस्तधारी द्वारा सतत् बालू खनन प्रबंधन मार्गदर्शन, 2016/ पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट शर्त्तों के अनुरूप किया जायेगा।

21. **परिवहन के लिए ई0चालानः**– बालू के परिवहन के लिए ई0चालान में सुरक्षा विशेषताएँ, जैसे बारकोड, क्यू0आर0 कोड होगी तथा सभी सूचनाओं के साथ होगी। बालू ढोने वाले सभी वाहन बालू के परिवहन के लिए आवश्यक रूप से ई0चालान साथ रखेगें।

22. **डिसिल्टिंग का जिम्मा लेने हेतु सरकार का अधिकारः**– नदी का प्रवाह, बॉधों की सुरक्षा तथा जीओ तकनीक एवं जल वैज्ञानिक विचारण के चलते नदियों का परिवेश बनाए रखने के लिए डिसिल्टेशन का अधिकार सरकार अपने पास आरक्षित रखती है। विभाग डिसिल्टिंग प्रक्रिया में निकाले गए बालू के निपटारे के लिए मार्गदर्शन निर्गत करेगी।

23. **खनन योजनाः**– खनन योजना प्रभावी नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार विभाग तैयार कर अनुमोदित करेगा। विभाग द्वारा एजेन्सी के माध्यम से खनन योजना तैयार कराई जायेगी तथा उसपर होने वाले व्यय की वसूली संबंधित बंदोबस्तधारी से की जायेगी।

NSD Hindi Kruti dev font dt 13.08.2019

24. **बालू–परिवहन विनियमित करने की शक्तिः–** अधिसूचना के माध्यम से विभाग, राज्य से अन्य राज्यों में बालू के निर्यात को नियंत्रित कर सकता है। इस क्रम में विभाग चेक पोस्ट, बैरियर धर्मकांटा इत्यादि अधिष्ठापित कर सकेगा।

यदि विभाग का विचार हो कि विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना बालू का परिवहन एवं भंडारण के रोकने की दृष्टि से वैसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा राज्य के भीतर किसी स्थान या स्थानों पर चेक पोस्ट लगाने या बैरियर स्थापित करने अथवा दोनों के लगाने हेतु निदेश करेगा।

25. **भराई का अध्ययनः–** मॉनसून के पहले और बाद नदी तल में बालू की मात्रा की भराई अभिनिश्चित करने के लिए अध्ययन बंदोबस्तधारी द्वारा अद्यतन उपलब्ध तकनीक का उपयोग करते हुए मान्यता प्राप्त संस्थानों/एजेंसियो के माध्यम से करवाया जाना है और इसका एक प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करना है। विभाग द्वारा अध्ययन क्रियान्वित किए जाने की दशा में, अध्ययन का खर्च संबंधित बंदोबस्तधारी से वसूल किया जाएगा।

26. **रैयती भूमि से उपमिट्टी बालू का हटाया जानाः–** बंदोबस्तधारी भूस्वामी की सहमति लेने और पर्याप्त क्षतिपूर्ति देने के बाद रैयती भूमि से उपमिट्टी बालू हटा सकेगा। ऐसे प्रस्ताव खनन प्रचालन आरंभ करने के पूर्व खनन योजना में शामिल किये जाएंगे और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारों से सम्यक् पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

27. **जल संसाधन विभाग से अनापत्तिः–** किसी बालू घाट से बालू उठाने की दशा में यदि कोई प्राकृतिक जलमार्ग/सिंचाई नहर लिंक रोड और बालूघाट के बीच पड़ती हो तो बंदोबस्तधारी जल संसाधन विभाग की पूर्व अनुमति से बालू के परिवहन के लिए अस्थायी संरचना खड़ा कर सकेगा।

पूर्व अनुमति के लिए ऐसा आवेदन जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता के समक्ष देगा। आवेदन की तिथि से एक माह के भीतर यदि इस संबंध में कोई विनिश्चय बंदोबस्तधारी को संसूचित नही किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि जल संसाधन विभाग को इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नही है।

28. **बिहार राज्य खनन निगम द्वारा क्रियाकलापः**— राज्य सरकार सभी अथवा किसी खनन क्रियाकलाप अथवा व्यापार को बिहार राज्य खनन निगम को सौंप सकेगी। निगम, विशेष रूप से खनन क्रिया कलाप के बालू के थोक व्यापार, खुदरा व्यापार, भंडारण एवं परिवहन आदि का जिम्मा ले सकेगा। निगम किसी सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी अथवा प्राईवेट अन्डरटेकिंग के साथ कोई करार उक्त प्रयोजनार्थ कर सकेगा।

29. **निगम द्वारा विहित दरों पर खनिजों का क्रय किया जानाः**— विभाग सभी खनिज समानुदान धारकों को अपने उत्पाद का कुछ अनुपात जो उनके उत्पाद का 50 प्रतिशत् से अनधिक होगा, निगम को पिट हेड मूल्य पर विक्रय करने हेतु निदेश दे सकेगा।

30. **बफर स्टॉकः**— बालू के मूल्य को विनियमित करने हेतु, विभाग बालू का कतिपय बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए निगम को प्राधिकृत कर सकता है और उसे उस स्थान और उस मूल्य पर, जिसे विभाग निदेशित करे, विक्रय करने हेतु निदेशित कर सकता है।

31. **शास्तिः**— नियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार मान्य होगा।

32. **नियमावलियों में संशोधनः**— बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 और बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण निवारण) नियमावली, 2003 में आवश्यक संशोधन बिहार बालू नीति, 2019 के अनुसार पृथक रूप से किये जाएँगे।

NSD Hindi Kruti dev font dt 13.08.2019

33. सरकार समय–समय पर, इस नीति का पुनर्विलोकन करेगी और नया मार्ग दर्शिका जारी करेगी अथवा ऐसा संशोधन करेगी जैसा उचित समझें।

34. यह नीति राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी। बंदोबस्त बालूघाटों का संचालन इस नीति के अनुसार किया जायेगा, जो 01 जनवरी, 2020 से प्रारम्भ होंगी।

35. (क) नई बालू नीति, 2013 एतद् द्वारा निरसित की जाती है।

(ख) ऐसे निरसन को होते हुए भी उक्त नीति के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कारोबार इस नीति के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई समझा जाएगा।

36. निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार इस नीति के क्रियान्वयन के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करेगें और इसके व्यापक प्रचार के लिए आवश्यक व्यवस्था करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

14/8/2019

(अरूण प्रकाश)
सरकार के अपर सचिव।

NSD Hindi Kruti dev font dt 13.08.2019